मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म – प्रत्यु), मध्यप्रदेश

प्रारूप कमांक 10 (नियम 13 देखिए)

// आप्राप्यता प्रमाण पत्र //

(जन्म-प्रत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के धारा 17 के आधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमार/कुमारी
आत्मत / वल्द / पत्नि / पुत्रीके निवेदन पर वर्ष (वर्षो)के
तहसीलतहसील
जिला पन्ना राज्य मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख की तलाशी ली गई और पाया गया
किपुत्र/पुत्री/पत्निके
जन्म /म्रत्यु की घटना रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत नहीं है ।
दिनांक जारी करने वाले का नाम
हस्ता० एवं मृहर